प्रारूप–2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेशः–बे0शि0 / शि0सहा0 / मान्यता / E-NU95/157/2014 2016–17 दिनांक 17-5-2016

सेवा में,

प्रबन्धक जे० के० चिल्ड्रन एकेडमी भैंसोड़ (अंग्रेजी)
वि० खि० कुन्दरकी (मुरादाबाद)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख .... के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जे० के० चिल्ड्रन एकेडमी भैंसोड़ वि० खि० कुन्दरकी (म) जनपद मुरादाबाद को तारीख 1-3-2016 से दिनांक 1-3-2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा (अंग्रेजी नर्सरी) से कक्षा 08 तक के लिए अंनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:–

18. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा– 8 के पश्चात मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
19. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
20. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के ...25.... प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
21. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
22. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
23. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
    - (1). प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
    - (2). किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
    - (3). प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
    - (4). प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकंथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
    - (5). अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
    - (6). अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं, अर्जित करेगें।
    - (7). अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
    - (8). अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
24. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

25. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:-	1216 वर्गमीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	:-	5500 वर्गफुट
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल	:-	पर्याप्त है
कक्षाओं की संख्या	:-	10 + प्री प्रा0 कक्ष + प्र0अ0 कक्ष
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डारागार के लिए कक्ष:-		
बालक, और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	:-	पर्याप्त है
पेयजल सुविधा	:-	"
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई	:-	"
बाधारहित पहुँच	:-	"

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

26. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएें नहीं चलाये जायेगी।
27. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
28. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय् प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
29. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
30. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
31. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक E-NUPS/157/2016 इतना है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
32. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों कों दूर करने के लिए जारी किये जायें।
33. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाएं।
34. सलंग्न उपांबध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

पृं0सं0:-बे0शि0 / शि0सहा0 / मान्यता / E-NUPS-157/2016 / 2016-17 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी / पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,मुरादाबाद।
4. सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कुन्दरकी, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रवंधक / प्रधानाचार्य
जे0के0 चिल्ड्रन एकेडमी
ग्राम–भैसौंड
वि0क्षे0कुन्दरकी, मुरादाबाद ।

पत्रांक– मान्यता/5924-25 /2018–19 दिनॉक: 01-03-2019

विषय : जे0के0 चिल्ड्रन एकेडमी ग्राम–भैसौंड, वि0क्षे0कुन्दरकी,मुरादाबाद की मान्यता नवीनीकरण के सम्बंध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा भेजे गये पत्रांक–0 दिनांक 29.01.2019 से अवगत हुआ है कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद के आदेश बेसिक शिक्षा / शिक्षा सह0 / मान्यता / E-NUPS/157/2016-17 दिनांक 17.05.2016 के द्वारा आपके विद्यालय कोनर्सरी से कक्षा 8 तक की अंग्रेजी माध्यम की अंनतिम मान्यता दिनांक 01.03.2016 से 01.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधी के लिए प्रदान की गयी थी । वर्तमान में आपने स्थाई मान्यता के लिए आवेदन किया है इसके सम्बंध में अवगत कराना है कि उ0प्रा0शासन के शासनादेश सं0419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 8 मई 2013 के विषय अशासकीय नर्सरी / प्रथमिक(प्राइमरी) / उ0प्रा0(जूनियर हाई स्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बंधी संसोधित मानक एवं शर्तों के क्लॉज 15 के अनुसार **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी । इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लघन से सम्बंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"** क्योकि अभी मान्यता लेने की तिथि से मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के सम्बंध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं आया है ।

अतः विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है इसलिए उपरोक्त विद्यालय की पुनः मान्यता / नवीनीकरण के आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

भवदीय

1.3.19

खण्ड शिक्षा अधिकारी
कुन्दरकी, मुरादाबाद।